ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प तोरण में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता मजमें आम में उपस्थित। वकील वादी को प्रकरण के सम्बन्ध में सुना गया। वकील वादी ने कथन किये कि विवादित आराजी वाके ग्राम प्रेमपुरा तहसील दीगोद स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भवानी शंकर दर्ज है, जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम भवाना है। वादी के पहचान के दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम भवाना ही दर्ज है। ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित वादी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भवाना ही दर्ज है। जिससे ग्राम प्रेमपुरा स्थित विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भवानी शंकर के स्थान पर भवाना अथवा भवना उर्फ भवानी शंकर दर्ज किया जावें। उक्तानुसार कथन कर वकील वादी द्वारा प्रकरण का निस्तारण मजमें आम में ही किये जानें का आग्रह किया। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2070–73 ग्राम प्रेमपुरा तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 47 व 122 में वादी भैरूलाल के पिता का नाम भवानी शंकर है। उक्त भूमि वादी द्वारा जरिये विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण सं0 317 व 318 दिनांक 05.08.2014 से दर्ज किया गया। जमाबंदी पर अंकित उक्त प्रविष्टि से प्रमाणित है कि उक्त प्रविष्टि विक्रय पत्र के अनुसार दर्ज की गई है, किन्तु वादी की ओर से उक्त विक्रय पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत नही की गई। जिससे प्रकरण में यह तय नहीं किया जा सकता है कि उक्त इंतकाल दर्ज करतें समय किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो। इंतकाल मुताबिक विक्रय पत्र दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। चूंकि इंतकाल विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है तथा केता द्वारा विक्रय पत्र में आलेखित सूचना के आधार पर ही विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होना जाहिर आता है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में मात्र स्वयं के दस्तावेज प्रस्तुत किये है, अपनें पिता के पहचान के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। लिहाजा प्रकरण में वादी को रिलीफ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प तोरण

उनवान

भैरूलाल पुत्र भवानी शंकर उर्फ भवाना जाति लश्करी निवासी छोटी बोरखण्डी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 17/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner